

31<sup>07</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वाडी की इतर  
से श्री आमत गोखरा अधिवक्ता ने  
पत्र-पत्रकी पेश की। गल पेशी में वकील  
वाडी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अधिक  
अपसर दिया गया था। इसके बावजूद  
प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्पन्न तलबाना  
पेश नहीं किया है। लिहाजा वाड-पत्र वाडीगण  
अदम तलबी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली को से ले, में शुमार होकर हाखिल  
फरार है।

(सन्दीप कुमार)  
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)  
रायसिंहनगर